संख्या-51/2025/209/25-27-सिं0-4/003-58(डब्ल्यू)/2008टी0सी0

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 27 फरवरी, 2025**

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा के अन्तर्गत सर्वेक्षण मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख अभियन्ता, आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4356/आई0बी0/सर्वे0/2024-25, दिनांक 17.01.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-94 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक **4701-80-005-10-14-42** के अन्तर्गत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 3300.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष धनराशि से रू0 **337.00** लाख (रूपये तीन करोड़ सैंतीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के स्तम्भ-4 के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	संगठन का नाम	कराये जाने वाले मुख्य-मुख्य कार्यो का विवरण/सार	प्रस्तावित धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1.	सरयू परियोजना-2 गोण्डा	सर्वेक्षण कार्य हेतु	42.00
2.	नलकूप पश्चिम,मेरठ	सर्वेक्षण कार्य हेतु	60.00
3.	शारदा,बरेली	नहरो के सर्वेक्षण कार्य हेतु	20.00
4.	जल संसाधन,लखनऊ	सर्वेक्षण कार्य हेतुध्खण्ड के अन्तर्गत कुल 13जी0डी0 साइटों पर कार्य,खण्डीय कार्यालय रख-रखाव के कार्य कराया जाना है	70.00
5.	अनुसंधान एवं नियोजन,लखनऊ	सर्वेक्षण कार्य हेतु	30.00
6.	गंगा,मेरठ	सर्वेक्षण कार्य हेतु	40.00
7.	बेतवा,झांसी	सर्वेक्षण कार्य हेतु	45.00
8.	सरयू परियोजन-प्रथम,अयोध्या	सर्वेक्षण कार्य हेतु	20.00
9.	सूचना प्रणाली संगठन,लखनऊ	**UPSWIC** के कार्यालय भवन निर्माण की परियोजना तैयार किये जाने हेतु सर्वेक्षण एवं अन्य कार्य	10.00
		कुल योग-	**337.00**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु उक्त संगठनों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0-8 प्रपत्र मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संकलित कर उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व कार्यकारी खण्ड के सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ताओं का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **3,37,00,000** (रुपये तीन करोड़ सैंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष **2024-25** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **094** लेखा शीर्षक **4701800051014** सम्बद्ध कार्य मानक मद **42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**1/2024/**बी-**1-294/**दस-**2024-231/2024,** दिनाँक- **04-**मार्च, **2024** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

5- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

6- मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-2/नलकूप पश्चिम/शारदा/जल संसाधन/अनुसंधान एवं नियोजन/गंगा/बेतवा/सरयू परि0-प्रथम/सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा, मेरठ, ,बरेली, लखनऊ, झांसी, एवं अयोध्या ।

7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

8- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, गोण्डा, मेरठ, ,बरेली, लखनऊ, झांसी, एवं अयोध्या ।

9- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।

10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

11- नियोजन अनुभाग-3

12- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
वी0 एन0 तिवारी
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in